

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत स्वप्रेरित घोषणा

1. **अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य:**— पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल बीकानेर का नवसृजन शासन सचिव(पुलिस)गृह(ग्रुप) विभाग राजस्थान सरकार के स्वीकृति क्रमांक प-10(16)गृह-6/98/जयपुर दिनांक 06.06.1999 एवं अति.महानिदेशक पुलिस,पुनर्गठन एवं तकनीकी सेवायें राज. जयपुर के समसंख्यक पत्र क्रमांक ए-21(3)पुनर्गठन/संस्था/99/673 दिनांक 08.06.1999 के द्वारा किया गया है तथा इसका उद्देश्य राजस्थान पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को वाहन चलाने एवं उसका संधारण व रख-रखाव करने से सम्बन्धित प्रशिक्षण देना है । इस संस्थान का मुख्यालय श्रीगंगानगर रोड़ पर नेशनल हाईवे नं.15 पर है तथा इस संस्थान के कमाण्डेन्ट श्री प्रताप सिंह डूडी दिनांक- 06.08.2013 से कार्यरत है ।
2. **अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:**—
 1. संस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सूचारु रूप से संचालित करना, प्रशिक्षण में आये हुये प्रशिक्षणार्थियों के रहने खाने व अन्य सुविधायें मुहैया करवाना ।
 2. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करवाये जाने हेतु उनमें आवश्यक सामग्री स्टाफ व अन्य व्यवस्थायें करवाया जाना ।
 3. संस्थान में उपलब्ध संसाधनों व प्रशिक्षकों के अनुपात में ही प्रशिक्षार्थी बुलाये जाने हेतु प्रशिक्षण निदेशालय को अवगत करवाना व समय-समय पर प्रशिक्षण निदेशालय से जानकारीयों का आदान प्रदान करना ।
3. **विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:**—

इस संस्थान के कमाण्डेन्ट के अधीन दो उप अधीक्षक पुलिस पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं निर्णय प्रक्रिया एवं उत्तरदायित्व कमाण्डेन्ट में निहित हैं ।
4. **अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान :-**

PRIORITIES-2022-23

- i. **Improvement in training quality.**
- ii. **Specialized courses, Workshops & Seminars as per needs of Rajasthan Police.**
- iii. **Welfare of training Staff.**
- iv. **Enhancement of soft skills of training staff.**
- v. **Maintaining standard of sanitation & hygiene in training institutions.**

5. **अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-**

नियंत्राधीन कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु पुलिस नियमावली, राजस्थान सेवा नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के अतिरिक्त समय-समय मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत कार्यों का निर्वहन किया जाता है ।

6. ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण :-
सामान्य कार्यालय पद्धति के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों का विवरण तथा उनकी परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज धारित है।
7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो की उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :-
ऐसी कोई विशिष्टियां नहीं है।
8. ऐसे बोर्ड ऐसे बोर्ड ऐसे बोर्ड,परिषदों, समितियों और निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठक होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरण :-
ऐसा कोई बोर्ड,परिषद अथवा समिति नहीं है।
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	पदभार	टेलिफोन नं.	माबाईल नं.
1.	श्री प्रताप सिंह डूडी	अति. पुलिस अधीक्षक	कमाण्डेन्ट	0151-2226145	9460729400
2.	श्री महेन्द्र सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	प्रभारी(इण्डोर)	0151-2226147	7425938883
3.	श्री आनन्द सिंह चौहान	उप अधीक्षक पुलिस	प्रभारी(आउटडोर)	0151-2226147	7597421646
4.	श्री विजयपाल	कम्पनी कमाण्डर	संचित निरीक्षक	0151-2226147	8432946189
5.	श्री गुरजिन्द्र सिंह	निरीक्षक(एमटी)	प्रभारी(एमटी) प्रशिक्षण		9782648499
6.	श्री दिलीप कुमार खत्री	निरीक्षक(एमटी)	एमटी		9928749284
7.	श्री पांचाराम	उप निरीक्षक(एमटी)	एमटी		9414113896
8.	श्री कालू राम	उप निरीक्षक(एमटी)	एमटी		8854990796
9.	श्री तोला राम	उप निरीक्षक(एमटी)	एमटी		
10.	श्री महावीर सिंह	उप निरीक्षक(एमटी)	एमटी		

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हों:-

पद	पे-स्केल
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(कमाण्डेन्ट)	L-16
उप अधीक्षक पुलिस	L-16
कम्पनी कमाण्डर	L-13
पुलिस निरीक्षक	L-13
प्लाटून कमाण्डर	L-11
उप निरीक्षक	L-11
हैडकानि.	LP-8
कानिस्टेबल	LP-5

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट :-
पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल बीकानेर में वर्ष 2022-23 में कुल स्वीकृत बजट आवंटित हुआ 07 / 2022 तक जो निम्नानुसार है :-

बजट मद	वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट	गत माह का व्यय	चालू माह का व्यय	योग व्यय
01 संवेतन	—	13467889	3822960	17290849
03 यात्रा व्यय	—	78499	—	78499
04 चिकित्सा व्यय	—	—	—	—
05 कार्यालय व्यय	—	1051867	12540	1064407
07 वाहन संधारण	—	34359	—	34359
08 वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	—	342500	10000	352500
37 वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	—	254917	—	254917
41 संविदा व्यय	—	348675	—	348675
42 प्रोत्साहन एवं मानदेय	—	3000	—	3000
43 कल्याण व्यय	—	5355	—	5355

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है :-

ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां :-

ऐसी कोई विशिष्टयां नहीं है।

14. किसी इलैक्ट्रोनिक रूप से सूचना के संबंध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो:- ऐसी कोई सूचना नहीं है।

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनमें किसी किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है :-

लोक उपयोग के लिये कोई विशिष्टयां अनुरक्षित नहीं है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम और अन्य विशिष्टयां :-

क्र.सं.	नाम	पद	माबाईल नं.
01	श्री प्रताप सिंह डूडी	कमाण्डेन्ट	9460729400

17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अधतन करेगा :-